अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 171/2012

मीना देवी —— अपीलार्थी

वनाम

राज्य एवं अन्य —— रेस्पोण्डेन्ट्स/विपक्षीगण

—:: आदेश ::—

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांकः 11.04.2012 ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 01/2012 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

प्रस्तुत अपील वाद में मौजाः भतखोड़ा अंचल–मुरलीगंज, जिला– मधेपुरा, खाताः 688 नया, 155 पुराना, खेसराः 1927 नया, 383 पुराना, रकबा 64 डी0 प्रश्नगत विवादी भूमि है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि प्रश्नगत जमीन पूर्व में जमींदार बनारसी मंडल की थी। जिन्होंने फसली वर्श 1346 में पूराना खेसरा संख्या 383 की 12.22 एकड़ भूमि में से 1 बीघा 7 कट्ठा 05 धूर भूमि को भूतपूर्व जमींदार द्वारा मौखिक रूप से अपीलार्थी/विपक्षी प्रथम पक्ष के नाम से बंदोबस्त कर दिया गया तथा अपीलार्थी /विपक्षी प्रथम पक्ष उक्त भूमि पर दखलकार हुए वो भूतपूर्व जमींदार द्वारा Cess revaluation 1941–42 में अपीलार्थी के नाम से रिटर्न दिया गया। सर्वे अमला की गलती से प्रश्नगत जमीन पी0 डब्लू0 डी0 बिहार सरकार के नाम दर्ज हो गया, जिसके लिए अपीलार्थी द्वारा सर्वे न्यायालय में वाद संख्या 31/2006 दायर किया गया था वो स्थल पर दखल से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कर इसे सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, मधेपुरा को वाद का निष्पादन हेतु रिमांड कर दिया गया वो सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा मामले की सुनवाई एवं सभी तथ्यों पर विचार कर उक्त वाद को दिनांक 09.05.08 को अपीलार्थी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया ।

दूसरी ओर रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि प्रश्नगत जमीन सी0 एस0 खतियान में गैरमजरूआ आम

किस्म रोड दर्ज है तथा आर0 एस0 खतियान में बिहार सरकार लोक निर्माण विभाग (पी0डब्लू0डी0) दर्ज है, वो रेस्पोण्डेन्ट प्रश्नगत भूमि का रकबा 64 डी0 बतलाते है जो वर्तमान में सड़क का पार्श्व भाग पूर्णतया खाली एवं परती है बतलाते हैं। रेस्पोण्डेन्ट जाली दस्तावेज बनाकर जो कि सर्वे न्यायालय के धारा बी0 टी0 106 के तहत आदेश के आलोक में है, प्रश्नगत जमीन पर दावा प्रस्तुत करते हैं। आगे कथन करते हैं कि इससे संबंधित उन्होंने सर्वे कार्यालय, सहरसा से दस्तावेजों के संबंध में सूचना प्राप्त की जिसमें तथ्य आया कि सी0 एस0 खाता संख्या 155, तौजी संख्या 5653 Cess revaluation 1941–42 श्रीमती मीना देवी के नाम दर्ज नहीं है न ही इस संबंधित certified copy सर्वे कार्यालय सहरसा से निर्गत है।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह अंकित किया गया है कि " *प्रश्नगत वाद में प्रश्नगत जमीन मौजा– **मतखोडा खाता 688 नया खेसरा 1927 नया रकबा 64 डी0 लोक निर्माण विभाग, बिहार सरकार की जमीन है।** इसके जमीन पर किसी भी पक्ष के द्वारा किया गया अतिक्रमण अवैध माना जाएगा।*"

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपील वाद अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।

27/12/2013
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

27/12/2013
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा